माननीय मुख्यमंत्री,झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2021 को अप0 2.00 से मुंख्यमंत्री कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची में हुए उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति विवरणी:–

1. श्री सुखदेव सिंह, मुख्य सचिव,झारखण्ड,
2. श्री राजीव अरूण एक्का, मा0मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,झारखण्ड,
3. श्री विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव, ,झारखण्ड,
4. श्रीमती पुजा सिंघल, सचिव,उद्योग,झारखण्ड
5. श्री जितेन्द्र कुमार सिह, निदेशक,उद्योग,झारखण्ड,
6. श्री अजय कुमार सिंह,क्षेत्रीय निदेशक,जियाडा, राँची।
7. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, राँची।

बैठक की कार्यवाही से संबंधित मुख्य बिन्दु/निदेश निम्नांकित है:–

1. राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं निवेश की संभावना तलाशने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्योग विभाग अंतर्गत Jharkhand Investment Promotion Board गठित करने का निदेश दिया गया। पूर्व में गठित बोर्ड को विघठित करते हुए नये झारखण्ड निवेश संवर्द्धन बोर्ड हेतु एक्ट अथवा मंत्रीमंडल संलेख के माध्यम से बोर्ड के गठन दिनांक 31.08.2021 तक तैयार करने का निदेश दिया गया।

2. वृहत उद्योगों के साथ–साथ लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढावा देने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम को प्रभावी एवं सरलीकरण के लिए कारगर कदम उठाने का निदेश दिया गया।

3. निदेश दिया गया कि सी0एम0ई0जी0पी0 एवं एम0एस0एम0ई0 के साथ पी0एम0ई0जी0पी0 हेतु डिजिटल पोर्टल को विकसित किया जाना है, जिसमें आनेवाले दो वर्षों के लिए उपलब्ध कराये गये औद्योगिक ऋण एवं ऋण की राशि के उपयोग को ट्रैक करने का प्रावधान किया जायेगा। यह Drill down analytics के साथ GIS आधारित होना चाहिए। उक्त पोर्टल को 15 सितम्बर,2021 तक प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

4. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा झारकाफ्ट के सुद्धढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु मार्गदर्शिका (Road Map) तैयार करने का निदेश दिया गया। कारीगरों को Forward linkage प्रदान करते हुए उन्हें मजबूती प्रदान करते हुए Jharcraft के revamp हेतु ब्लू प्रिंट 30 सितम्बर,2021 तक तैयार करने का निदेश दिया गया।

5. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,कांके में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की जाने तथा बेकन फैक्ट्री के लिए भूमि का चयन किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु दिशानिर्देश दिये गये।
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद (ODoP) की प्रगति से बैठक में सभी को अवगत कराया गया । निदेश दिया गया कि ODoP के अंतर्गत एग्रो प्रोसेंसिंग कलस्टर की स्थापना हेतु नये संभावनाओं को तलाश किया जाय ताकि छोटे प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सके।
7. निदेश दिया गया कि झारखण्ड में रेशम उद्योग को end to end स्थापित करने के लिए रेशम की सम्पूर्ण प्रक्रिया (Cocoon to final Product) का मूल्यांकन किया जाय ताकि झारखण्ड में रेशम उद्योग के विकास के लिए विस्तृत परियोजना तैयार किया जा सके।
8. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि लाह प्रसंस्करण उद्योग के प्रोत्साहन के लिए कालवद्ध योजना तैयार किया जाय। इस हेतु, Jhascolamph, Jhamcofed तथा NTFP के Federation के साथ सामंजस स्थापित करने की कार्रवाई की जाय।
9. साल पत्तो को प्लेट के रूप में बनाने के लिए तथा अन्य Value addition हेतु Business Model तैयार करने के निदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया।
10. निदेश दिया गया कि उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिग स्टेशन की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय तथा लिथियम बैट्री के इकाईयों की स्थापना तथा निवेश को बढावा दिया जाय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्योग विभाग को राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उद्योग को आकर्षित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया गया।
11. निदेश दिया गया कि उद्योग विभाग अंतर्गत औद्योगिक Intelligence इकाई तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाय।
12. समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि इस वर्ष के अंत तक फार्मा पार्क में उपलब्ध भूमि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु आवंटित किया जाय।
13. निदेश दिया गया कि आगामी दो माह के अन्दर प्लास्टिक पार्क में त्रुटियों का निराकरण करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई हेतु समिति का गठन कर लिया जाए।
14. धनबाद में स्थापित होनेवाले लेदर पार्क को सामान्य पार्क के रूप में विकसित किये जाने की संभावनाओं को तलाशने हेतु निदेश दिया गया।

15. बैठक में निर्णय लिया गया कि फूड पार्क में 40 प्रतिशत, Electronic Manufacturing Cluster में 25 प्रतिशत भूमि एस0एसी0/एस0टी0 के लिए आरक्षित रखे जाऐं । Electronic Manufacturing Cluster में एंकर यूनिट स्थापित किये जाने के संभावनाओं की तलाश करने हेतु निदेश दिया गया।
16. निदेश दिया गया कि इमली के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाय तथा इसके विपणन हेतुं Business Model तथा कार्य योजना तैयार किया जाय।
17. निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के कर्मियों को उपयुक्त विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाय तथा स्थानीय उद्योग कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य सम्पादित किया जाय।
18. औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्र के विकास के लिए गोविन्दपुर–साहेबगंज कोरिडोर में प्रत्येक 50 कि0मी0 की दूरी पर अगले दो वर्षों में 500–600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण इस प्रकार किया जाय कि अधिकतम सरकारी एवं कृषि हेतु अनुपयोगी भूमि का अधिग्रहण किया जा सके। इस कोरिडोर को उपरोक्त औद्योगिक कलस्टर से जोड़ने के लिए सम्पर्क पथ बनाने की योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।
19. साहेबगंज जिला में लॉजिस्टीक पार्क की स्थापना हेतुं 1000 एकड़ भूमि चिन्हित किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

सरकार के सचिव
उद्योग विभाग,झारखण्ड,

ज्ञापांक 04/उ0नि0/विविध(कार्यवाही)–18/2021 1563 /राँची, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री ,झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव,झारखण्ड के उप सचिव, /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/8/21

निदेशक उद्योग